



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,  
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Web: [www.klsgaci.edu.in](http://www.klsgaci.edu.in) E.mail: [principal@klsgaci.nic.in](mailto:principal@klsgaci.nic.in) दूरभाष क्रं. 0755-2970310

क / कय / 2026 /

दिनांक

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, संस्थान के शल्य विभाग हेतु ओ.टी.लाइट आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु ई-निविदा प्रकिया के अन्तर्गत खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाइन (द्वितीय) ई-निविदा प्रस्ताव

ई- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.05.2026



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,  
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Web: [www.klsgaci.edu.in](http://www.klsgaci.edu.in) E.mail: [principal@klsgaci.nic.in](mailto:principal@klsgaci.nic.in) दूरभाष क्रं. 0755-2970310



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,  
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Web: [www.klsgaci.edu.in](http://www.klsgaci.edu.in) E.mail: [principal@klsgaci.nic.in](mailto:principal@klsgaci.nic.in) दूरभाष क्रं. 0755-2970310

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, संस्थान के शल्य विभाग हेतु ओ.टी.लाइट की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु द्वितीय ई-निविदा

ई-निविदा की अधिसूचना

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, के शल्य विभाग की ओटी हेतु ओ.टी.लाइट की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। जो कि <https://mptenders.gov.in/> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित होकर उपलब्ध है। निविदा के संबन्ध में निर्धारित समय सारणी निम्नानुसार है।

कार्य विवरण	दिनांक एवं समय
ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का समय	07.05.2026
ऑनलाइन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.05.2026 दोपहर 2.00 बजे
ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	29.05.2026 दोपहर 2.00 बजे
ऑनलाइन वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा की कार्यवाही उपरांत वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोलने के संबन्ध में पृथक से <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> द्वारा आनलाइन ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जावेगा।
निविदा प्रपत्र शुल्क	राशि रुपये :-2000.00 (रुपये दो हजार मात्र) ई-पेमेन्ट द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाना है।
अनुमानित निविदा मूल्य	05.50 लाख
ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुल्क	पोर्टल <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> की शर्तों अनुसार पोर्टल मे दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार द्वारा ई-पेमेन्ट द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाना है।
निविदा प्रतिभूति (EMD) राशि	राशि रुपये :- 10000.00 (रुपये दस हजार मात्र) ई-पेमेन्ट द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाना है।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद  
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपा



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं.खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,  
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Web: [www.klsgaci.edu.in](http://www.klsgaci.edu.in) E.mail: [principal@klsgaci.nic.in](mailto:principal@klsgaci.nic.in) दूरभाष क्रं. 0755-2970310

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, संस्थान के शल्य विभाग हेतु ओ.टी.लाइट की  
आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु द्वितीय ई-निविदा

निविदा के मापदण्ड

01. यदि बोलीदाता लघु एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अनुसार एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तो बोलीदाता को ऊपर परिभाषित "अनुभव मानदंड" की पात्रता से छूट दी जाएगी, बशर्ते गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा किया जाए। अनुभव मानदंड से छूट चाहने वाले बोलीदाता को अपनी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
2. यदि बोलीदाता लघु एवं लघु उद्यम (एमएसई) मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अनुसार एक सूक्ष्म या लघु उद्यम (एमएसई) है, तो बोलीदाता को ऊपर परिभाषित "बोलीदाता के कारोबार" की पात्रता मानदंड से छूट दी जाएगी बशर्ते गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा किया जाए।
3. यदि बोलीदाता स्वयं प्रस्तावित उत्पादों का एमएसई ओईएम है, तो उसे "ओईएम औसत कारोबार" मानदंड से भी छूट दी जाएगी, बशर्ते गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा किया जाए। कन्वर्ट से छूट चाहने वाले बोलीदाता को अपनी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
4. यदि बोलीदाता डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप है, तो गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने पर उसे ऊपर परिभाषित "बोलीदाता टर्नओवर" की पात्रता मानदंड से छूट दी जाएगी। यदि बोलीदाता प्रस्तावित उत्पादों का डीपीआईआईटी पंजीकृत ओईएम है, तो गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने पर उसे "ओईएम औसत टर्नओवर" मानदंड से भी छूट दी जाएगी। छूट चाहने वाले बोलीदाता को छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने हेतु सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
5. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीदाता का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर बोली दस्तावेज में ऊपर दर्शाए अनुसार होना चाहिए। संबंधित अवधियों के प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट या चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित अवधि के टर्नओवर विवरण दर्शाने वाला प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
7. ओईएम टर्नओवर मानदंड: प्रस्तावित उत्पाद के ओईएम का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर, पिछले तीन वर्षों के दौरान (पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले) बोली दस्तावेज में दर्शाए अनुसार होना चाहिए। संबंधित अवधियों के प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट या चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित अवधि के टर्नओवर विवरण दर्शाने वाला प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। यदि ओईएम के गठन/निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम है, तो गठन की तिथि के बाद के पूर्ण वित्तीय वर्षों के औसत टर्नओवर को इस मानदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
8. मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता (200 करोड़ रुपये से कम की बोलियों के लिए): सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 में समय-समय पर संशोधित और संबंधित नोडल मंत्रालय द्वारा विशिष्ट वस्तुओं/उत्पादों के लिए जारी किए गए इसके बाद के आदेशों/अधिसूचनाओं में परिभाषित श्रेणी 1 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रेणी 1 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री बोली दस्तावेज में दर्शाई गई है। यदि बोलीदाता खरीद प्राथमिकता का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे अपनी बोली के साथ स्थानीय सामग्री के प्रतिशत और उन स्थानों के विवरण के संबंध में ओईएम से एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है, अन्यथा कोई खरीद प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यदि बोली का मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक है, स्थानीय सामग्री के प्रतिशत से संबंधित घोषणा को वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, यदि ओईएम एक कंपनी है, और कंपनियों के अलावा अन्य ओईएम के लिए एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 दिनांक 04.06.2020 के अनुसार है। केवल श्रेणी-I और श्रेणी-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता जैसा कि एमआईआई आदेश दिनांक 4.06.2020 के अनुसार है, बोली लगाने के पात्र होंगे। गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता, जैसा कि एमआईआई आदेश दिनांक 04.06.2020 के अनुसार है, भाग लेने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, पात्र

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदारों को ओएम संख्या F.1/4/2021-PPD दिनांक 18.05.2023 का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। 18.05.2023 सार्वजनिक खरीद नीति के समवर्ती अनुप्रयोग के अनुपालन हेतु ज्ञापन संख्या 1\_4\_2021\_पीपीडी दिनांक 18.05.2023 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आदेश, 2012 और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017

9. वैध उद्यम पंजीकरण रखने वाले और जिनके प्रमाण-पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से किया गया हो, ऐसे लघु एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को क्रय वरीयता दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.03.2012 को जारी सार्वजनिक क्रय नीति आदेश, 2012 और संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/अधिसूचनाओं में परिभाषित अनुसार। यदि बोलीदाता क्रय वरीयता का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे प्रस्तावित उत्पाद का निर्माता/ओईएम होना चाहिए। व्यापारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सार्वजनिक क्रय नीति के दायरे से बाहर हैं और इसलिए किसी अन्य ओईएम द्वारा निर्मित उत्पादों की पेशकश करने वाले पुनर्विक्रेता किसी भी क्रय वरीयता के पात्र नहीं हैं। सेवाओं के लिए बोली के संबंध में, बोलीदाता प्रस्तावित सेवा का सेवा प्रदाता होना चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तावित उत्पाद या सेवा के लिए बोली के साथ अपलोड किए जाएंगे और क्रेता बोली का मूल्यांकन करते समय प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खरीद वरीयता के लिए पात्रता तय करेगा। यदि L-1 एक एमएसई नहीं है और एमएसई विक्रेता ने L-1+ 15% के भीतर कीमत उद्धृत की है (खरीददार द्वारा चयनित खरीद वरीयता/प्रासंगिक नीति में परिभाषित मूल्य सीमा के मार्जिन के आधार पर, ऐसे लघु एवं लघु उद्यम विक्रेता को एल-1 मूल्य के बराबर मूल्य का भुगतान करने का अवसर दिया जाएगा और कुल मात्रा के 25% (खरीददार द्वारा चयनित) प्रतिशत के लिए अनुबंध प्रदान किया जाएगा। खरीददारों को सलाह दी जाती है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के समवर्ती अनुप्रयोग के अनुपालन के लिए दिनांक 18.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.1/4/2021-PPD का संदर्भ लें

10. पूर्व प्रदर्शन: बोलीदाता या उसके मूल निर्माता (ओईएम) {स्वयं या पुनर्विक्रेता(ओं) के माध्यम से} ने बोली खोलने की तिथि से पहले के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम एक में बोली मात्रा के 40% के लिए समान या मिलते-जुलते श्रेणी के उत्पादों की आपूर्ति की हो। संबंधित अनुबंधों की प्रतियां (किसी एक वित्तीय वर्ष में संचयी ऑर्डर मात्रा की आपूर्ति साबित करने वाली) बोली के साथ जमा की जानी चाहिए, जो संबंधित वित्तीय वर्ष में आपूर्ति की गई मात्रा के समर्थन में हों। समूह बोलियों के मामले में, प्राथमिक उत्पाद से संबंधित श्रेणी, जिसका बोली मूल्य सबसे अधिक है, को इस मानदंड को पूरा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि एमएसई वरीयता के लिए पात्र किसी विक्रेता की बोली/बोली गैर एमएसई एल-1 के 15% मूल्य बैंड के भीतर आती है या यदि मेक इन इंडिया वरीयता के लिए पात्र किसी विक्रेता की बोली गैर एमएसई एल-1 के 20% मूल्य बैंड के भीतर आती है, तो ऐसे एमएसई/मेक इन इंडिया विक्रेता को भी आरए प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

- 01- स्थापना, चालू करना, परीक्षण, विन्यास, प्रशिक्षण (यदि कोई हो - आपूर्ति के दायरे के अनुसार जो भी लागू हो) ओईएम / ओईएम प्रमाणित संसाधन या ओईएम अधिकृत पुनर्विक्रेता द्वारा किया जाना है।
- 02- निर्माता प्राधिकरण: जहां भी अधिकृत वितरक/सेवा प्रदाता बोली जमा कर रहे हैं, वहां OEM/मूल सेवा प्रदाता का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी जानकारी सहित प्राधिकरण फॉर्म/प्रमाणपत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 03- सफल बोलीदाता को आपूर्ति किए गए सामान की सफल स्थापना और चालू करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने होंगे।
- 04- सामान्य उद्योग प्रथा के अनुसार मानक सहायक उपकरणों के अलावा, निम्नलिखित सहायक उपकरण आपूर्ति का हिस्सा होने चाहिए और इनकी लागत बोली मूल्य में शामिल होनी चाहिए।
- 05- बोलीदाता को बोली के साथ सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसे बीआईएस लाइसेंस, टाइप टेस्ट प्रमाणपत्र, अनुमोदन प्रमाणपत्र आदि अपलोड करने होंगे।
- 06- बोलीदाता के कारोबार का मानदंड: बोलीदाता का पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हुआ हो, बोली दस्तावेज में दर्शाए अनुसार होना चाहिए। संबंधित अवधियों के प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट या चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित अवधि के कारोबार का विवरण दर्शाने वाला प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। यदि बोलीदाता के गठन/निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम है, तो इस मानदंड के लिए गठन की तिथि के बाद के पूर्ण वित्तीय वर्षों के औसत कारोबार को ध्यान में रखा जाएगा।

- 07- ओईएम कारोबार मानदंड: प्रस्तावित उत्पाद के ओईएम का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, पिछले तीन वर्षों के दौरान (पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले) बोली दस्तावेज में दर्शाए अनुसार होना चाहिए। संबंधित अवधियों के प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट या चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित अवधि के कारोबार का विवरण दर्शाने वाला प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। यदि ओईएम के गठन/निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम है, तो गठन की तिथि के बाद के पूर्ण वित्तीय वर्षों के औसत कारोबार को इस मानदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- 08- सेवा केंद्रों की उपलब्धता: बोलीदाता/ओईएम के पास प्रत्येक प्राप्तकर्ता के स्थान वाले राज्य में एक कार्यात्मक सेवा केंद्र होना आवश्यक है, यदि माल ले जाने की वारंटी लागू है। (यह उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता जिनकी ऑन-साइट वारंटी है)। यदि बोली के समय सेवा केंद्र मौजूद नहीं है, तो सफल बोलीदाता/ओईएम को अनुबंध दिए जाने के 30 दिनों के भीतर एक सेवा केंद्र स्थापित करना होगा। भुगतान केवल कार्यात्मक सेवा केंद्र होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- 09- आपूर्ति किए गए उत्पादों की वारंटी अवधि माल की अंतिम स्वीकृति की तिथि से 3 वर्ष होगी या प्राप्तकर्ता के स्थान पर माल की स्थापना, चालू करने और परीक्षण (यदि आपूर्ति के दायरे में शामिल हो) पूर्ण होने के बाद से होगी। ओईएम वारंटी प्रमाणपत्र सफल बोलीदाता द्वारा माल की डिलीवरी के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विक्रेता को गारंटी अवधि के दौरान किसी भी खराबी की स्थिति में माल की मरम्मत की गारंटी देनी चाहिए। विक्रेता के पास भारत में बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए एक सुस्थापित स्थापना, चालू करने, प्रशिक्षण, समस्या निवारण और रखरखाव सेवा समूह होना चाहिए। प्राप्तकर्ता के गंतव्यों के निकट स्थित सेवा केंद्रों का विवरण बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
- 10- वारंटी अवधि के दौरान समय पर सर्विसिंग/दोषों का निवारण: वारंटी अवधि के दौरान दोषों/सर्विसिंग की आवश्यकता की सूचना मिलने के बाद, विक्रेता को आवश्यक सर्विसिंग/सुधार 7 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। यदि विक्रेता निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्विसिंग/सुधार पूरा करने में विफल रहता है, तो विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए उत्पाद की इकाई कीमत का 0.5% जुर्माना लगाया जाएगा। विक्रेता जुर्माना सीधे क्रेता के पास जमा कर सकता है, अन्यथा क्रेता को प्रदर्शन सुरक्षा (PBG) से ऐसी पूरी जुर्माना राशि वसूल करने का अधिकार होगा। संचयी जुर्माना कुल अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकता, जिसके बाद क्रेता को PBG की ज़बती के अलावा विक्रेता के जोखिम और लागत पर वैकल्पिक स्रोतों से सर्विसिंग/सुधार करवाने का अधिकार होगा। विक्रेता ऐसी सर्विसिंग/सुधार की लागत क्रेता को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद  
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

**:: नियम शर्तें ::**

ई-निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है। इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन [mptender.gov.in](http://mptender.gov.in) से ई-निविदा राशि रु. 2000.00/- का भुगतान कर ई-निविदा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको [mptender.gov.in](http://mptender.gov.in) पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है।

1. ई.एम.डी. राशि रूपये 10,000.00/- (रूपये दस हजार मात्र) है, जिसे ई-पेमेन्ट के माध्यम से [mptender.gov.in](http://mptender.gov.in) पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि [mptender.gov.in](http://mptender.gov.in) के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि 3 प्रतिशत तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा। निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित-2022 के प्रावधानों अनुसार म0प्र0के लघु उद्यम उद्योगों एवं प्रदेश के स्टार्टअप को नियमानुसार छूट रहेगी इस हेतु म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सफल निविदाकार से किया गया दर अनुबंध आदेश दिनांक से 03 माह हेतु मान्य होगा।
3. निविदाकार फर्म के पास जीवित गुमास्ता/कम्पनी निगमन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसकी प्रति तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. जी.एस.टी पंजीयन की प्रतिलिपि तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. पैन नम्बर की प्रतिलिपि तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. म0प्र0के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं स्टार्टअप्स को म0प्र0भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कणिका 23.1 में उल्लेखित निर्धारण अनुसार एल-01 फर्म को सामग्री की आपूर्ति हेतु कय आदेश जारी किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि (30 दिवस) में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से आपूर्ति नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्ता फर्म की होगी।
7. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
8. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का टर्न ओवर न्यूनतम 20.00 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की आयकर विवरणी एवं चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
9. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी फर्म/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा।

10. निविदाकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र राशि रुपये 100.00 (रुपये एक सौ मात्र )के नान जूडिशियल स्टांप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. ई-निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।
13. ई-तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांछित दस्तावेजों (चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा।
14. निविदाकर्ता फर्म को प्रदेश के किसी भी शासकीय चिकित्सा संस्थान में ओ.टी.लाइट की आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य में सुसंगत अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
15. निविदाकर्ता के पास संबंधित मशीन की आपूर्ति हेतु निर्माता कम्पनी का अधिकार पत्र होना आवश्यक है जिसे तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. संलग्न चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजों को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना, आवश्यक है, चेक लिस्ट अनुसार अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जावेगा। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जावेगी इनके अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा।
19. निविदा प्रपत्र व अनुसार दर सूची [mptender.gov.in](http://mptender.gov.in) पर उपलब्ध **boq** में अंकित करना है। जी.एस.टी.राशि का उल्लेख तत्समय प्रचलित अनुसार देयक में प्रथक से किया जाना है।
20. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद  
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,  
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Web: [www.klsgaci.edu.in](http://www.klsgaci.edu.in) E.mail: [principal@klsgaci.nic.in](mailto:principal@klsgaci.nic.in) दूरभाष क्रं. 0755-2970310

शल्य विभाग हेतु ओ.टी.लाइट की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु द्वितीय ई-निविदा  
(तकनीकी ई-निविदा )

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
3. वर्तमान निवास का पता-----
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर-----
5. GSTIN NO.-----
6. जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक .....
7. पैन कार्ड न.....
8. ई.एम.डी.राशि ई-प्रिंटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा।
9. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022-23 ,2023-24 एवं 2024-25 का टर्न ओवर न्यूनतम 20.00 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 ,2023-24 एवं 2024-25 की आयकर विवरणी एवं चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
10. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टाम्प पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा
11. निविदाकर्ता फर्म को प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्थान में ओ.टी.लाइट की आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है जिसके साक्ष्य में सुसंगत अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
12. म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
13. निविदाकर्ता के पास ओ.टी.लाइट की आपूर्ति हेतु निर्माता कम्पनी का अधिकार पत्र होना आवश्यक है। जिस पर निविदा क्रमोंक अंकित होना अनिवार्य है।
14. आपूर्तिकर्ता फर्म को ओ.टी लाइट पर 01 वर्ष की वारंटी प्रदाय करना होगी। जिसका घोषणा पत्र तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
15. ओईएम के पास ओ.टी लाइट हेतु निम्नानुसार ISO 9001-2015 ,14001-2015,45001-2018 ,or ISO 13485 होना आवश्यक है। जिन्हे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
16. सामग्री का चाहे गये गये स्पेशिफिकेशन एवं कम्पनी की ही आपूर्ति करनी होगी इस हेतु लेटर हेड पर शपथपत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
17. निर्माता कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय म0प्र0 मे स्थित होना आवश्यक है जिससे तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके संबंधित तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
18. चेक अनुसार चाहे गये अभिलेख कमबद्ध तरीके से पेजिंग कर पठनीय प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित की जाकर स्कैन कापी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।

- 19.निविदाकर्ता के पास पूर्व मे किसी शासकीय संस्थान को विक्रय की गई ओ.टी.लाइट के क्रय आदेशों की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
- 20.ओईएम का **BIS** प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
- 21.तकनीकी निविदा मे सफल निविदाकार की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी ।
- 22.निविदा से संबधित संमस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ।
- 23.सफल निविदाकार को दर की स्वीकृति ई-निविदा पोर्टल द्वारा ई- मेल पर भेजी जावेगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
शल्य विभाग हेतु ओ.टी.लाइट की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु द्वितीय ई-निविदा

(वित्तीय ई-निविदा प्रपत्र ) **BOQ**

s.n	NAME & SPECIFICATIONS	QTY
01	<p><b>Technical specification for OT light with Camera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material of head lamp should be Aluminum</li> <li>• Type of Ceiling OT Light should be Double Dome.</li> <li>• Type of Lamp head should be Single non winged round shape lamp head.</li> <li>• Minimum Diameter of lamp Head for main dome with tolerance <math>\pm 20</math> (in mm) should be 600 mm.</li> <li>• Minimum Diameter of Auxiliary dome with tolerance <math>\pm 20</math> (in mm) should be 600 mm.</li> <li>• Light Intensity in Luminous at 1 meter distance should be minimum 150000 to 160000 (Major Dome).</li> <li>• Depth of illumination of OT Light (in cms) should be around 100 to 140 cm or more.</li> <li>• On/off switch should be available.</li> <li>• OT light should be provided with drip free spring arms for easy maneuverability.</li> <li>• Lens of the domes should be interchangeable and removable, the glass should be scratch proof to optimize light penetration.</li> <li>• Power Supply should be 220-240 V, 50 Hz Single Phase.</li> <li>• Colour Temperature in Kelvin (In between) 3500 to 5000 K.</li> <li>• Minimum Life Span of LED for each dome (in hours) approx. is 60000.</li> <li>• Colour rendering index (CRI) should be 96.</li> <li>• Type of Control Panel should be feather touch keypad</li> <li>• Camera resolution should be in Full HD.</li> <li>• Camera connectivity should be wired for zero latency</li> <li>• HD monitor should be provided and should be 32 inches or more.</li> <li>• Camera Controls available on wireless remote. Auto Focus, Manual Focus for focus locking with variable focal length, zoom in and zoom out, 4-directional video orientation adjustment, color correction options to be available</li> <li>• User selectable intensity variation should be in 5 or more steps.</li> <li>• Warranty in years 5 year</li> <li>• Certification for manufacturing unit ISO:13485</li> <li>• Valid CDSCO Medical Device License and BIS Registration Number should be provided.</li> </ul>	1

**पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल**  
**शल्य विभाग हेतु ओ.टी.लाइट की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन हेतु द्वितीय ई-निविदा**  
**चैक-लिस्ट**

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	स्पष्ट पृष्ठ कर्मांक अंकित करें
01	जी.एस.टी.नम्बर की प्रति	
02	ई.एम.डी.राशि ई-प्रिंटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा ।	
03	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2022-23 ,2023-24 एवं 2024-25 का टर्न ओवर न्यूनतम 20.00 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वित्तीय वर्ष 2022-23 ,2023-24 एवं 2024-25 की आयकर विवरणी एवं चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।	
04	जीवित गुमास्ता होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।	
05	निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा	
06	निविदाकर्ता फर्म को प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्थान में ओ.टी.लाइट की आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है जिसके साक्ष्य में सुसंगत अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।	
07	म0प्र0सरकार के एम.एस.एम.ई.विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।	
08	विगत 03 माह की जीएस.टी.जमा संबंधी चालान की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा	
09	निविदाकर्ता के पास संबंधित ओ0टी0 लाइट की आपूर्ति हेतु निर्माता कम्पनी का अधिकार पत्र होना आवश्यक है  जिस पर निविदा कर्मांक अंकित होना अनिवार्य है ।	
10	आपूर्तिकर्ता फर्म को ओ.टी लाइट पर 01 वर्ष की वारंटी प्रदाय करना होगी । जिसका घोषणा पत्र तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।	
11	ओईएम के पास ओ.टी लाइट हेतु निम्नानुसार ISO 9001-2015 ,14001-2015,45001-2018 ,or ISO 13485 होना आवश्यक है । जिन्हे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।	
12	ओ00टी0 लाइट निविदा में चाहे गये स्पेशिफिकेशन एवं कम्पनी की ही आपूर्ति करना हागी इस हेतु लेटर हेड पर शपथपत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।	
13	निर्माता कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय म0प्र0 में स्थित होना आवश्यक है जिससे तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके संबंधित तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।	
14	निविदाकर्ता के पास पूर्व में किसी शासकीय संस्थान को विक्रय की गई ओ.टी.लाइट के क्रय आदेशों की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।	
15	ओईएम का <b>BIS</b> प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।	